



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 45]

नई दिल्ली, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2018, शनिवार/कार्तिक 13—कार्तिक 19, 1940

No. 45]

NEW DELHI, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2018, SATURDAY/KARTIKA 13—KARTIKA 19, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 364.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) एवं उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे तकनीशियन), सहायक उप निरीक्षक (नर्सिंग सहायक/चिकि.), हैड कांस्टेबल (फिजियोथेरेपी सहायक/नर्सिंग सहायक /चिकि.), हैड कांस्टेबल (ए.एन.एम/मिडवाईफ) एवं हैड कांस्टेबल (डायलेसिस तकनीशियन) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" योधक (पैरा-चिकित्सीय पदों) भर्ती नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **चिकित्सा योग्यता.**— अनुसूची में सम्मिलित किसी श्रेणी या रैंक या पद में एक पद से दूसरे पद में योधक स्टाफ की प्रोन्नति के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रवर्ग शेष — 1 होना चाहिए ।

6. **सेवा का दायित्व.**—इन नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त पदों पर भर्ती किए गए कार्मिक भारत या भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने के लिये दायी होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे तकनीशियन)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय (योधक)	स्तर — 05 (रु. 29200 — 92300)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु— सीमा
(6)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन किया जाएगा
(11)
<p>प्रोन्नति : ऐसे हेड कांस्टेबल (एक्स-रे-सहायक) जिसने वेतन मैट्रिक्स 25500-81100 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>टिप्पण : जहाँ कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों को भी अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उन्हें विचारार्थ लिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम है, उससे उनकी अर्हक या पात्रता सेवा कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्त : केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी जो अपने मूल कैडर या विभाग में अनुरूप पदों का ग्रहण करते हों एवं निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समतुल्य विज्ञान विषयों (जैसे की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो ;</p> <p>(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो डाइग्नोसिस तकनीकी या एक्स-रे इमेजिंग तकनीकी या समतुल्य में दो वर्षीय अवधि का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ;</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्त की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो सीधे प्रोन्नति की पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी तरह जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
<p>समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार हेतु) में शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) सहायक उप निरीक्षक (नर्सिंग सहायक /चिकित्सा)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय (योद्धक)	स्तर – 05 (रु. 29200- 92300)	अचयन

(6)
लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स 25500— 81100/— के स्तर - 4 में हैड कांस्टेबल (नर्सिंग सहायक) या अयोधक वरिष्ठ नर्सिंग सहायक जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों को भी अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उन्हें विचारार्थ लिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम है, उससे उनकी अर्हक या पात्रता सेवा कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी जो अपने मूल कैडर या विभाग में अनुरूप पदों का ग्रहण करते हों एवं निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(ii) सेंट जॉन्स एम्बुलेंस संगठन या रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ सरकारी अस्पताल या संस्थान में 15 वर्ष का नर्सिंग देखभाल एवं मरहम पट्टी करने का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए किसी अन्य कौडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो सीधे प्रोन्नति की पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी तरह जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

12	13
<p>समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार हेतु) में शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) हैड कांस्टेबल (फिजियोथेरेपी सहायक/नर्सिंग सहायक /चिकि.)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय (योधक)	स्तर - 04 (रु. 25500— 81100/)	लागू नहीं होता

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>शैक्षणिक अर्हता :</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ।</p> <p>(3) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड :</p> <p>(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर , महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीना : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव</p> <p>महिलाओं के लिये लागू नहीं ।</p> <p>(ग) भार : पुरुष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में)</p> <p>(घ) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमन्य होगी:-</p> <p>ऊँचाई:- गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी ।</p> <p>सीना : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर (05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा ।</p> <p>चिकित्सा मानदंड :-</p> <p>(ड.) आंखों की दृष्टि : बिना किसी सुधार यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।</p> <p>(च) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर,</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>वेरीकोस शिराएं या आंखों में भँगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । इशाहर के परीक्षण के साथ-साथ एड्रिच- ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाएगी। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो, से मुक्त हों ।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।</p>			
---	--	--	--

(11)

लागू नहीं होता

12	13
<p>समूह " ग " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार के लिए) इसमें शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) हैड कांस्टेबल (ए.एन.एम/मिडवाईफ)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय (योधक)	स्तर — 04 (रु. 25500— 81100/)	लागू नहीं होता

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु— सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू— कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>शैक्षणिक अर्हता :</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(2) नर्सिंग समिति भारत सरकार या राज्य नर्सिंग समिति से मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार या केंद्रीय नर्सिंग समिति के साथ पंजीकृत संस्थान से ऑक्सलरी नर्स प्रसुतिविद्या में दो वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>(3) शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड :</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर , महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीना : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव महिलाओं के लिये लागू नहीं।</p> <p>(ग) वजन : पुरुष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में)</p> <p>(घ) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमन्त्र होगी:—</p> <p>ऊँचाई:— गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी ।</p> <p>सीना : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर (05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा ।</p> <p>चिकित्सा मानदंड :-</p> <p>(ड.) आंखों की दृष्टि : बिना किसी सुधार यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।</p> <p>(च) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में भैगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। इशाहर के परीक्षण के साथ-साथ एड्रिच- ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जाच की जाए । उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो, से मुक्त हों ।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।</p>			
--	--	--	--

12	13
<p>समूह " ग " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार के लिए) इसमें शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) हैड कांस्टेबल (डायलिसिस तकनीशियन)	08* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसूचित (योधक)	स्तर – 04 रु. 25500– 81100/)	लागू नहीं होता

(6)
<p>18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदे । के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>शैक्षणिक अर्हता :</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से डायलिसिस तकनीकी में 2 वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य ।</p> <p>(3) शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड :</p> <p>(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर , महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीना : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव</p> <p>महिलाओं के लिए लागू नहीं ।</p> <p>(ग) भार : पुरुष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में)</p> <p>(घ) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमन्य होगी:-</p> <p>ऊँचाई:- गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा

<p>लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी ।</p> <p>सीना : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर (05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा ।</p> <p>चिकित्सा मानदंड :-</p> <p>(ड.) आंखों की दृष्टि : बिना किसी सुधार यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।</p> <p>(च) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में भँगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । इशाहर के परीक्षण के साथ-साथ एड्रिच- ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाए। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो, से मुक्त हों ।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।</p>			
--	--	--	--

(11)

लागू नहीं होता ।

12	13
<p>समूह " ग" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार के लिए) इसमें शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. आर. दो 1/2018 चिकित्सा-1 केरिपुबल /गृह मंत्रालय (कार्मिक-II)]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th October, 2018

G.S.R. 364.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Assistant Sub Inspector(X Ray Technician), Assistant Sub Inspector(Nursing Assistant/Medic), Head Constable(Physiotherapy Assistant/Nursing Assistant/Medic), Head Constable(ANM/Midwife), and Head Constable (Dialysis Technician) of Group- 'C' posts in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Group 'C' (Combatised Para Medical posts) Recruitment Rules- 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of posts, their classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.— No person,-**

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.—** For combatised staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the Schedule, individual shall be required to confirm to medical category SHAPE- I as prescribed by the Government .

6. **Liability of service.—** Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

7. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Sub Inspector (X-Ray Technician)	03* (2018) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group C, Non Ministerial (Combatised)	Level 5 in the pay matrix Rs. 29200-92300/-	Non-Selection

Age limit for direct recruits

(6)

Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment:- Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
---	---	-----------------------------	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
<p>Promotion:</p> <p>Head Constable (X-Ray Assistant) with five years regular service in level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous bodies holding analogous posts in the parent cadre or department, and having the following educational qualification :-</p> <p>(i) 12th class pass of equivalent with Science subjects (i.e Physics, Chemistry and Biology) from a recognized Board or University;</p> <p>(ii) should possess diploma or certificate course of two years duration in radio diagnosis techniques or X-Ray imagine techniques or equivalent from an institution recognised by Central Government or State Government.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinary exceed three years.</p> <p>Note 2 : The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on closing date of receipt of application.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force -Chairman</p> <p>(2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force -Member</p> <p>(3) Senior Medical Officer or Medical Officer Central Reserve Police Force - Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Sub Inspector (Nursing Assistant /Medic)	03*(2018) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group C, Non Ministerial (Combatised)	Level 5 in the pay matrix. Rs. 29200- 92300/-	Non- Selection

(6)
Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)
<p>Promotion: Head constable (Nursing Assistant) or Non combatised Sr. Nursing Assistant in level 4 in the pay matrix Rs. 25500- 81100 with five years regular service.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying of eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period , for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous bodies holding analogous posts in the parent cadre or department, and having the following educational qualifications :-</p> <p>(i) 10th class pass or equivalent from a recognized Board or institute;</p> <p>(ii) possessing first Aid Certificate from St. Johns ambulance organisation or Red Cross Society with 15 years of experience in nursing care and dressing in Government Hospital or Institution.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in same or some other organisation or department of the central Government shall not ordinary exceed three years.</p> <p>Note 2 : The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on closing date of receipt of application.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force --Chairman</p> <p>(2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force --Member</p> <p>(3) Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force --Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable /(Physiotherapy Assistant/Nursing Assistant/Medic)	03* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-C Non Ministerial (Combatised)	Level 4 in pay matrix Rs. 25500-81100/-	Not applicable

(6)
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(1) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University;</p> <p>(2) Two year Diploma or certificate course in Physiotherapy from a recognised Institution .</p> <p>(3) Physical and Medical Standard :</p> <p>(a) Height : For Males : 170 Cms For Females : 157 Cms</p> <p>(b) Chest : For Males : Unexpanded : 80 cms. Expanded : Minimum expansion 5cms. For Females : Not applicable.</p> <p>(c) Weight : (For Males and Females) Proportionate to height and age as per Medical standards.</p> <p>The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows :—</p> <p>Height : Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur , Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. For male and 155 cms. For females. The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 cms for females.</p> <p>Chest : The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur , Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms (minimum 5 cms expansion). The minimum chest fo all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 cms(minimum 5 cms expansion) .</p>	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

<p>Medical Standards :</p> <p>(a) Eye Sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses.</p> <p>(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision . The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich- Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>Desirable : One year experience in the field from a recognized Hospital or Institute .</p>			
---	--	--	--

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</p> <p>(1) Deputy Inspector General (Medical), CRPF – Chairman</p> <p>(2) Chief Medical Officer (Selection Grade), CRPF -Member</p> <p>(3) Senior Medical Officer or Medical Officer, CRPF-Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Head Constable (ANM/Midwife)	03*(2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group C, Non Ministerial. (Combatised).	Level 4 in the pay matrix Rs 25500-81100/-.	Not applicable.

(6)
<p>Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Educational qualification :</p> <p>(1) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University;</p> <p>(2) Two years Diploma in Auxiliary Nurse Midwifery from an institution recognised by Nursing Council of India or State Nursing Council and duly registered with State Government or Indian Nursing</p>	Not applicable	Two years	By direct recruitment

<p>Council.</p> <p>(3) Physical and Medical Standard :</p> <p>(a) Height : For Males : 170 Cms For Females : 157 Cms</p> <p>(b) Chest : For Males : Unexpended : 80 cms. Expended : Minimum expansion 5 cms. For Females : Not applicable.</p> <p>(c) Weight : (For Males and Females) Proportionate to height and age as per Medical standards. The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows :— Height : Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur , Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. For male and 155 cms. For females. The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 cms for females. Chest : The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur , Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms (minimum 5 cms expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 cms(minimum 5 cms expansion) .</p> <p>Medical Standards :</p> <p>(c) Eye Sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses.</p> <p>(d) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision . The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich- Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>Desirable : One year experience in the field from a recognized Hospital or Institute .</p>			
--	--	--	--

(11)

Not applicable

(12)

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—

(1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force
—Chairman

(2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central

(13)

Not applicable.

Reserve Police Force (3) Senior Medical Officer or Medical Officer Central Reserve Police Force	-Member -Member
--	--------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Head Constable (Dialysis Technician) .	08*(2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group C, Non Ministerial (Combatised)	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100/-.	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (2) Two years Diploma in dialysis techniques or equivalent from recognised Institution ; (3) physical and Medical Standard : (a) Height : For Males : 170 Cms For Females : 157 Cms (b)Chest : For Males : Unexpanded : 80 cms. Expanded : Minimum expansion 5 cms. For Females : Not applicable. (c) Weight : (For Males and Females) Proportionate to height and age as per Medical standards. The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows :— Height : Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur , Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. For male and 155 cms. For females. The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 cms for females. Chest : The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis,	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

<p>Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms (minimum 5 cms expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 cms (minimum 5 cms expansion).</p> <p>Medical Standards :</p> <p>(e) Eye Sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses.</p> <p>(f) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ichihara's Test as well as Edrich- Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>Desirable : One year experience in the field from a recognized Hospital or Institute.</p>			
---	--	--	--

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—</p> <p>(1) Deputy Inspector General (Medical), CRPF —Chairman</p> <p>(2) Chief Medical Officer (Selection Grade), CRPF --Member</p> <p>(3) Senior Medical Officer or Medical Officer CRPF -Member</p>	Not applicable.

[F. No. R.II.1/2018. Med. I – CRPF/MHA(Pers. II)]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.365.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ज्येष्ठ कार्यक्रमक, कार्यक्रमक (रिप्रोग्राफिक) और ऑकड़ा प्रक्रमण सहायक ग्रेड 'क' भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन